फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़

प्रह्लाद बनाम लिच्छुराम

किस्म मुकदमा , 53 ,88 ,188, आर.टी.एक्ट. नम्बर 150 सन–2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख
07.04.2021	वादी की ओर से वाद पत्र जरिये अभिभाषक पेश हुआ जिस पर रिपोर्ट सीगेदार हो चुकी है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन/सम्मन से तलब किया जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 30.06.2021 को पेश हो।	
30/6/21	वादी उपस्थित प्रतिवादी सेवा। वादी की ओर से अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित [illegible] पर वादी के वाद के स्वीकार पर [illegible] जवाब पेश किया [illegible] पत्रावली जवाब हेतु दिनांक 23/9/21 को पेश हो	
23/9/21	बहुभाग कार्यवाही उपस्थित पत्रावली जवाब के जवाब पेश किया जिस पर [illegible] वादी ने [illegible] में [illegible] पेश किया जिस पर [illegible] पत्रावली वादी बहस हेतु 6/10/21 को पेश हो	
6/10/21	बहुभाग कार्यवाही उपस्थित बहस हेतु समय चाहा पत्रावली बहस हेतु 17/10/21 को पेश हो	
17/10/21	बहुभाग कार्यवाही उपस्थित बहस हेतु समय चाहा पत्रावली बहस हेतु 27/10/21 को पेश हो	
27/10/21	पत्रावली पेश हुई श्री [illegible] अधिवक्ता [illegible] पत्रावली दि० 1/12/21 को पेश हो।	
1/12	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2021 कैम्प ..... में पेश हुई ..... पेश साक्ष्य-स्टाम्प / दस्तावेज / वारिस प्रमाण-पत्र पत्रावली दिनांक 7/3/22 को पेश हो।	

Scanned with CamScanner

7/8/22

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
गोहर

आगे आदेश तक नहीं भागेगा पालना होगा

Scanned with CamScanner